

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता )

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022  
प्र.इ.रि.स 230/22 दिनांक 11/06/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी भादस  
(2) अधिनियम भा.द.स. - धाराएं -  
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं -
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 200 समय 12:00/m  
(2) अपराध के घटने का दिन गुरुवार दिनांक 09.06.2022 समय 6.25 पी.एम.  
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 08.06.2022 समय 11.00 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक - लिखित
5. घटना स्थल : -  
(1) थाने से दिशा व दूरी - बजानिब दक्षिण पश्चिम दिशा, लगभग 480 किलोमीटर  
(2) पता - कार्यालय आबकारी वृत्त निरीक्षक सलूमबर जिला उदयपुर ।  
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....  
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता -  
**परिवादी**  
(1) नाम : श्री भैरूलाल मीणा  
(2) पिता का नाम : श्री चौकाजी मीणा  
(3) आयु : 46 साल  
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय  
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....  
(6) व्यवसाय : कृषि कार्य  
(7) पता : गांव खाट्टियाखेडा पोस्ट उथरदा तहसील सलूमबर जिला उदयपुर (राज)
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
  1. श्री ईश्वरसिंह पिता रामसिंह, उम्र 49 वर्ष निवासी निचला गुड़ा, पोस्ट बड़ावली, पुलिस थाना सेमारी, जिला उदयपुर हाल प्रहराधिकारी, कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत्त सलूमबर, जिला उदयपुर ।
  2. श्री सलीम खां पिता असलम खां, उम्र 57 वर्ष निवासी पुलिस थाने के पीछे आसपुर, आसपुर, जिला झूंगरपुर हाल गार्ड, कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत्त सलूमबर, जिला उदयपुर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण -
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे )

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	7000 रुपये	आरोपीगण के द्वारा परिवादी से

दिनांक 9-6-22 को 7000 रुपये रिश्वती राशि मांगकर ग्रहण करना ।
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य - 7,000 रुपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या ( अगर हो तो )
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे )

✍

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
उदयपुर।

विषय :- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू।

महोदय जी,

निवेदन इस प्रकार है कि मैं प्रार्थी भैरूलाल मीणा पिता श्री चौकाजी मीणा उम्र-46 वर्ष निवासी- खटियाखेडा पो0 उथरडा तह0 सलूमबर जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कार्य खेतीबाडी व मजदूरी का हो दिनांक 05.06.2022 सायं को लगभग 4.30 बजे के आस-पास मैं प्रार्थी घर पर नहीं था। हमेशा की तरह घर के दरवाजे पर अण्डर लॉक का ताला लगा रखा था। मैं उथरदा गांव की तरफ गया हुआ था, पुनः घर की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में बोलेरो गाडी मिली जो कि आबकारी विभाग की थी। जिसमें एक कर्मचारी सलीम जी ने मुझे आवाज देकर बुलाया व उनके अधिकारी ईश्वरसिंह से मिलवाया जिन्होंने मुझसे कहा कि तेरे खिलाफ बहुत शिकायते आ रही है तेरे खिलाफ दारू का केस दर्ज कर मुकदमा बनायेगे, तेरे को बचना हो तो 10,000 रुपये की व्यवस्था कर लेना और सलीम जी को बता देना और मुझसे कहा कि अभी कुल कितने पैसे है, मैंने कहा कि मैं कोई दारू का काम नहीं करता हूँ खेतीबाडी व मजदूरी का काम करता हूँ। मेरे खिलाफ केस किस बात का बनाओगे। मुझको डरा धमकाकर मेरे से 3000 रुपये श्री ईश्वरसिंह ने लिये बाकि के रुपये की व्यवस्था कर आबकारी थाने पर बुलाया। मैं घर पहुचा तो मेरे छोटे भाई की पत्नी पुष्पा ने बताया कि आबकारी वाले आये थे घर का अण्डर लॉक तोडकर घर में घुसकर सामान बिखेर दिया।

श्रीमान् से निवेदन है कि आबकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मुझसे 10,000 रुपये रिश्वत के मांग रहे है, नहीं तो झूठा दारू का केस बनाने की धमकियो दे रहे है। मैं इनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरा इनसे व्यक्तिगत कोई लेन-देन व रंजिश नहीं है। कृपया कार्यवाही कानूनी कार्यवाही करावे।  
दिनांक -08.06.2022

एसडी /-  
तनवीर अहमद  
एसडी /-  
लक्ष्मण लाल मीणा

प्रार्थी  
एसडी /-  
भैरूलाल मीणा  
पिता श्री चौकाजी मीणा उम्र-  
निवासी- खटिया खेडा पोस्ट उथरडा  
तहसील सलूमबर जिला उदयपुर  
9929326589

### कार्यवाही पुलिस

दिनांक 08.06.2022 समय 11.00 ए.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक के कक्ष में परिवादी श्री भैरूलाल मीणा पिता श्री चौकाजी मीणा उम्र-46 वर्ष निवासी- खटियाखेडा पो0 उथरडा तह0 सलूमबर जिला उदयपुर उपस्थित ब्यूरो चौकी उदयपुर आया। श्री भैरूलाल मीणा द्वारा टाईपशुदा रिपोर्ट श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद नाम को सम्बोधित शुदा मेरे समक्ष पेश की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो परिवादी ने उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि "मैं प्रार्थी भैरूलाल मीणा पिता श्री चौकाजी मीणा उम्र- 46 वर्ष निवासी-खटियाखेडा पोस्ट उथरडा तहसील सलूमबर जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कार्य खेतीबाडी व मजदूरी का हो दिनांक 05.06.2022 सायं को लगभग 4.30 बजे के आस-पास मैं प्रार्थी घर पर नहीं था। हमेशा की तरह घर के दरवाजे पर अण्डर लॉक का ताला लगा रखा था। मैं उथरदा गांव की

तरफ गया हुआ था, पुनः घर की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में बोलेरो गाडी मिली जो कि आबकारी विभाग की थी। जिसमें एक कर्मचारी सलीम जी ने मुझे आवाज देकर बुलाया व उनके अधिकारी ईश्वरसिंह से मिलवाया जिन्होंने मुझसे कहा कि तेरे खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं तेरे खिलाफ दारू का केस दर्ज कर मुकदमा बनायेगे, तेरे को बचना हो तो 10,000 रुपये की व्यवस्था कर लेना और सलीम जी को बता देना और मुझसे कहा कि अभी कुल कितने पैसे हैं, मैंने कहा कि मैं कोई दारू का काम नहीं करता हूँ खेतीबाडी व मजदूरी का काम करता हूँ। मेरे खिलाफ केस किस बात का बनाओगे। मुझको डरा धमकाकर मेरे से 3000 रुपये श्री ईश्वरसिंह ने लिये बाकि के रुपये की व्यवस्था कर आबकारी थाने पर बुलाया। मैं घर पहुचा तो मेरे छोटे भाई की पत्नी पुष्पा ने बताया कि आबकारी वाले आये थे घर का अण्डर लॉक तोडकर घर में घुसकर सामान बिखेर दिया ।

श्रीमान् से निवेदन है कि आबकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मुझसे 10,000 रुपये रिश्वत के मांग रहे हैं, नहीं तो झूठा दारू का केस बनाने की धमकियाँ दे रहे हैं। मैं इनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरा इनसे व्यक्तिगत कोई लेन-देन व रंजिश नहीं है। कृपया कार्यवाही कानूनी कार्यवाही करावे। इस पर परिवादी से पुलिस निरीक्षक द्वारा मजीद दरियाफ्त की गई, तो मामला रिश्वत राशि लेने देन का पाया गया। जिस पर जरिये दूरभाष हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किये गये। तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

एसडी / -

(श्री भैरूलाल, परिवादी)

एसडी / -

( हरिश्चन्द्र सिंह)

पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08.06.2022 समय 11.30 ए.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर को मंगवाकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि को भलीभांति समझाया गया। इसके उपरान्त ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री टीकाराम कानि. को तलब कर परिवादी श्री भैरूलाल मीणा से परिचय करवाया गया तथा श्री टीकाराम कानि. को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा सदिग्ध व्यक्ति की आम शोहरत की जानकारी भी कर लाने की हिदायत देकर परिवादी श्री भैरूलाल मीणा के साथ श्री टीकाराम कानि. के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया।

एसडी / -

(श्री भैरूलाल मीणा, परिवादी)

एसडी / -

(श्री टीकाराम, कानि.)

एसडी / -

(हरिश्चन्द्र सिंह)

पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08.06.2022 समय 01.55 पी.एम.

इस समय कानि. श्री टीकाराम ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र सिंह को बताया की मैं व परिवादी श्री भैरूलाल मीणा सलूमबर पहुच कर पुनः डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की समझाईश की तथा आबकारी विभाग सलूमबर कार्यालय से कुछ दूरी पर मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर सदिग्ध से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल टेप

रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लाने की हिदायत देकर रवाना किया। मैं आबकारी विभाग से कुछ दूरी पर अपनी उपस्थित छूपाते हुए खड़ा रहा था। कुछ समय पश्चात परिवादी भैरूलाल मीणा मेरे पास आया तथा ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर बंद हालत में मुझे संपुर्ण किया, जिसे मेने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मैंने आबकारी के श्री ईश्वरसिंह व श्री सलीम से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर ली है। मेरे द्वारा श्री ईश्वरसिंह को पूर्व में 3,000 रुपये दिये गये थे, उसके सम्बन्ध में भी वार्ता की है। श्री ईश्वरसिंह व श्री सलीम ने आज शाम को चार पाँच बजे मुझे 7,000 रुपये लेकर बुलाया है। इसके उपरान्त जरिये दूरभाष हालात से आपको अवगत करा एवं परिवादी से भी बात करवाई तो परिवादी द्वारा कानि. टीकाराम के कहे गये तथ्यों की ताईद की। जिस पर निर्देशानुसार मैंने, परिवादी श्री भैरूलाल को कल दिनांक 09.06.2022 को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पांबद कर मुनासिब हिदायत दे सलूमबर में छोड़ा। मैं ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर के लिए रवाना हुआ।

एसडी / -

(श्री टीकाराम, कानि.)

एसडी / -

(हश्चिन्द्र सिंह)

पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08.06.2022 समय 02.45 पी.एम.

इस समय कानि. श्री मांगीलाल को जरिये तहरीर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक-प्रशासन निदेशालय खान एवं भू विज्ञान उदयपुर में जाकर अपने साथ दो स्वतन्त्र गवाहन को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय लाने हेतु रवाना किया।

एसडी / -

(श्री मांगीलाल, कानि.)

एसडी / -

(हश्चिन्द्र सिंह)

पुलिस निरीक्षक

दिनांक 08.06.2022 समय 03.30 पी.एम.

इस समय कानि. श्री मांगीलाल कार्यालय अतिरिक्त निदेशक-प्रशासन निदेशालय खान एवं भू विज्ञान उदयपुर से अपने साथ दो स्वतन्त्र गवाहन श्री लक्ष्मणलाल मीणा, वरिष्ठ प्रयोगशाला एवं श्री तनवीर अहमद वरिष्ठ सहायक को लेकर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। जिनको मन् पुलिस निरीक्षक के कक्ष में बिठाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनको नाम पुछा तो लक्ष्मणलाल मीणा पिता श्री सीगाजी मीणा उम्र-58 वर्ष निवासी गांव रोबिया पोस्ट सुन्दरा तहसी खेरवाडा जिला उदयपुर हाल वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर एवं अन्य दूसरे गवाह श्री तनवीर अहमद पिता मोहम्मद ईस्माईल उम्र-39 वर्ष निवासी 123, दक्षिणी आयड उदयपुर होना बताया गया। तो मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहन से ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहन उपस्थित रहने हेतु बाबत् सहमति चाही गई, जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की तथा परिवादी श्री भैरूलाल मीणा द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना-पत्र भी पढकर सुनाया गया जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहन ने सुन समझ अपने अपने हस्ताक्षर किये।

एसडी / -

(श्री मांगीलाल, कानि.)

एसडी / -

(श्री लक्ष्मण मीणा)

एसडी / -

(श्री तनवीर अहमद)

एसडी / -

(हश्चिन्द्र सिंह)

पुलिस निरीक्षक



दिनांक 08.06.2022 समय 07.00 पी.एम.

इस समय श्री टीकाराम कानि. मय डिजिटल टेप रिकार्डर के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। श्री टीकाराम कानि. ने डिजिटल टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश करते हुए पूर्व में जरिये मोबाईल बताये गये हालात की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को दोनो स्वतन्त्र गवाहन के समक्ष चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टी हुई। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने में रखवाया गया। तत्पश्चात् दोनो स्वतन्त्र गवाहन को मुनासिब हिदायात देकर दिनांक 09.06.2022 को प्रातः 9.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया।

एसडी /- एसडी /- एसडी /- एसडी /-  
(श्री लक्ष्मणलाल मीणा) (श्री तनवीर अहमद) (श्री टीकाराम कानि.) (हश्चिन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 9.30 ए.एम.

इस समय पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री तनवीर अहमद व श्री लक्ष्मणलाल मीणा उपस्थित ब्यूरो चौकी आये जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बिठाया गया।

एसडी /-  
(हश्चिन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 01.15 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री भैरूलाल मीणा ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिसने बताया कि कल तक पैसो की व्यवस्था नहीं होने से आज ही पैसो की व्यवस्था हुई है इसलिए ही अब आपके कार्यालय में आबकारी विभाग के श्री ईश्वर सिंह व सलीम को दी जाने वाली रिश्वत राशि 7000 रूपये लेकर आया हू। जिस पर परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित गवाहन श्री तनवीर अहमद व श्री लक्ष्मणलाल मीणा दोनो स्वतन्त्र गवाहन से परिचय करवाया गया।

एसडी /- एसडी /- एसडी /-  
(श्री भैरूलाल मीणा, परिवादी) (श्री तनवीर अहमद, गवाह) (श्री लक्ष्मणलाल मीणा, गवाह)  
एसडी /-  
(हश्चिन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 1.20 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकलवाकर मंगवाया। डिजिटल टेप रिकार्डर में दिनांक 08.06.2022 को रिकॉर्ड हुई रिश्वत राशि की मांग सत्यापन वार्ता को चालु कर पुनः दोनों गवाहान को परिवादी श्री भैरूलाल के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी के एक आवाज स्वयं की तथा अन्य दो आवाजे श्री ईश्वरसिंह व सलीम होना बताया। दोनो गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन होने की पुष्टि की। इस पर दोनों गवाहान के समक्ष रिकार्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.06.2022 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मांगीलाल कानि. से पृथक से तैयार करवाई गई, जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् डिजिटल टेप



रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त रिकार्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की मूल व डब सीडी तैयार की गई, मूल सीडी पर दोनो गवाहानों व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल व डब सीडीयों को पृथक पृथक सीडी कवर में रखा जाकर मूल सीडी को मय सीडी कवर सहित सीलचीट किया गया। डब सी.डी. को भी सीडी कवर में रखा जाकर सुरक्षित रखा गया।

एसडी / -

(श्री भैरूलाल मीणा, परिवादी)

एसडी / -

(श्री मांगीलाल कानि.)

एसडी / -

(श्री तनवीर अहमद, गवाह)

एसडी / -

(श्री लक्ष्मणलाल मीणा, गवाह)

एसडी / -

(हरिश्चन्द्र सिंह)

पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 01.50 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक हरिश्चन्द्र सिंह द्वारा परिवादी श्री भैरूलाल मीणा को दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री ईश्वरसिंह व सलीम को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 हजार के 14 नोट कुल 7,000 हजार रुपये के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : -

1	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9BU	392841
2	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1CN	612765
3	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9BG	235577
4	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3SA	648084
5	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9BG	235578
6	500 रुपये का एक नोट नम्बर	9DC	903677
7	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0FM	103873
8	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5AR	213789
9	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3QS	076461
10	500 रुपये का एक नोट नम्बर	5GF	767542
11	500 रुपये का एक नोट नम्बर	3QP	195607
12	500 रुपये का एक नोट नम्बर	0DN	959179
13	500 रुपये का एक नोट नम्बर	1CP	244533
14	500 रुपये का एक नोट नम्बर	6CT	281770

परिवादी द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन की शीशी को मंगवाया जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन लगवाया गया। श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री भैरूलाल मीणा के शरीर पर पहनी हुई पेंट की सामने की बायी जेब में कोई शै: न छोडते हुए रखवाये गये। श्री टीकाराम कानि. से ब्यूरो कार्यालय में रखे कैम्पर में से एक साफ कौच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आबकारी विभाग के ईश्वरसिंह व सलीम द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग



कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से कार्यालय से बाहर फिकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः सुरक्षित मालखाने में रखवाई गई एवं अखबार जिस पर फर्द प्रदर्शनी की दौरान नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था को जलाकर नष्ट किया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वती राशि देने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फैरकर या हमराह श्री टीकाराम कानि. ने बताया कि आबकारी थाना पहाडी की तलहटी में होने से वहाँ बी.एस.एन. एल. का नेटवर्क नहीं आता है। अतः परिवादी को श्री टीकाराम कानि के मोबाईल पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित सकेत देवे, क्योंकि मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल की सिम बी.एस.एन.एल. की होने से उक्त कार्यवाही स्थल पर नेटवर्क नहीं आने की वजह से हमराह कानि. श्री टीकाराम के मोबाईल नम्बर परिवादी को दिये गये। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया, श्री टीकाराम कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियों, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को डिजिटल रिकार्डर में रिकार्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

एसडी / - (श्री भैरूलाल मीणा, परिवादी)	एसडी / - (श्री तनवीर अहमद, गवाह)	एसडी / - (श्री लक्ष्मणलाल मीणा, गवाह)
एसडी / - (श्री गजाराम, वरिष्ठ सहायक)	एसडी / - (श्री टीकाराम कानि.)	एसडी / - (हरिश्चन्द्र सिंह) पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 02.45 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक हरिश्चन्द्र सिंह द्वारा परिवादी श्री भैरूलाल मीणा को श्री टीकाराम कानि. मय डिजिटल टेप रिकार्डर के परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री तनवीर अहमद, श्री लक्ष्मणलाल मीणा मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि. श्री सुरेश जाट कानि., श्री मांगीलाल कानि., श्री विकास कानि. मय लेपटोप, प्रिन्टर एवं ट्रेप बोक्स लेकर जरिये प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय से सलूमबर की तरफ रवाना हुए।

एसडी / -  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 4.30 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के सलूमबर करावली रोड पर आबकारी थाने से कुछ दूरी पहले पहुँचकर निजी मोटरसाईकिल व प्राईवेट वाहन का साईड में खडा कर परिवारी श्री भैरूलाल मीणा को डिजिटल टेप रिकार्डर सूपुर्द करते हुए पुनः डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि को भली भाँति समझाईश कर हिदायत दी कि आरोपीगण से होने वाली रिश्वत राशि लेने देन वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करें। परिवारी मय डिजिटल टेप रिकार्डर तथा श्री टीकाराम कानि. को निजी मोटरसाईकिल से आवश्यक हिदायत देकर आबकारी थाना सलूमबर की तरफ रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवारी के पीछे-पीछे प्राईवेट वाहन से रवाना होकर आबकारी थाना सलूमबर से कुछ दूरी पहले पहुँचकर प्राईवेट वाहन को साईड में खडाकर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यो के आबकारी थाना सलूमबर के पास अपनी-अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवारी के निर्धारित इशारे का इन्तजार करने लगे।

एसडी / -

(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 4.50 पी.एम.

इस समय परिवारी श्री भैरूलाल मीणा ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हो डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसको बन्द किया गया। परिवारी ने बताया कि मैं यहाँ से रवाना होकर आबकारी थाना सलूमबर पहुचा तो थाने के मैने गेट पर बन्द था, अन्दर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जिस पर मैं पुनः लौटाकर आपके पास आया हूँ।

एसडी / -

(श्री भैरूलाल, परिवारी)

एसडी / -

(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 6.15 पी.एम.

इस समय गोपनीय रूप से मालूमात करने से यह ज्ञात हुआ है आबकारी थाने का गेट खुला हो अन्दर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित है। जिस पर परिवारी श्री भैरूलाल मीणा को पुनः डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू बन्द करने की विधि की समझाईश कर सुपुर्द किया जाकर आबकारी थाने की ओर रवाना करते हुए परिवारी के पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता आबकारी थाने के आस पास अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवारी के निर्धारित इशारे का इन्तार में खडे रहे। समय करीब 6.25 पी.एम. पर आबाकारी थाना परिसर से ही परिवारी ने कानि. टीकाराम को मोबाईल पर कॉल कर पूर्व निर्धारित सांकेतिक कथन जिसे कानि. द्वारा सभी को बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य तेज-तेज कदमों से चलकर आबकारी थाने के परिसर में खडे परिवारी के पास पहुँचें। जहाँ पर परिवारी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की, जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवारी ने बताया कि अभी-अभी श्री सलीम खां ने मुझसे आबकारी परिसर के साईड में जप्त शुदा पडी पुरानी गाडियो के पास ले जाकर रिश्वत राशि 7,000 रूपये मांगकर अपने हाथों से गिनकर ली। तत्पश्चात् मैं आबकारी थाने के गेट की तरफ आकर आपको पुर्व निर्धारित इशारा किया। इशारा किया तो आपको आता देखकर आरोपी श्री सलीम खा को मुझ पर शंक होने से वह रिश्वत राशि को लेकर



जप्तशुदा पडी पुरानी गाडियों की तरफ गया था। जिस पर परिवारी को साथ लेकर आबकारी थाना परिसर के अन्दर पहुचें तो परिवारी ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री सलीम खां है। जिन्होंने अभी-अभी मुझसे दारू के झूठे मुकदमे में नहीं फसाने की एवज में 7,000 रुपये श्री ईश्वरसिंह जी के कहे अनुसार मांग कर लिये है। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम सलीम खां पिता श्री असलम खां उम्र-57 वर्ष निवासी आसपुर पुलिस थाने के पीछे जिला डूगरपुर हाल आबकारी गार्ड, कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूम्वर जिला उदयपुर होना बताया। इस पर श्री सलीम खां से परिवारी की ओर ईशारा कर पूछा कि आपने अभी-अभी इससे 7000 रुपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त की है क्या ? जिस पर आरोपी श्री सलीम ने घबराते हुए कहा कि हाँ मैने इनसे रुपये श्री ईश्वरसिंह, प्रहराधिकारी के कहे अनुसार लिये है। रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो आरोपी श्री सलीम खां ने बताया कि मुझे परिवारी पर शंका होने से मैने रिश्वत राशि को प्लास्टिक की थैली में रखकर जप्तशुदा गाडियों के नीचे फैंक दी। जिस पर सलीम खां की निशानदेही पर उक्त रिश्वत राशि गाडी के नीचे पडी प्लास्टिक की थैली को स्वतन्त्र गवाहन श्री तनवीर अहमद से उठवाई गई। प्लास्टिक की थैली जो एक तरफ से ब्ल्यू एवं दूसरी तरफ लाल अक्षरों में " रजवाडी पोशाक का एक मात्र शा0 लालचन्द्र महीपाल जैन सुटिंग-शर्टिंग लंहगा चुंनी, फेन्सी साडियों, बधेज ओढ़नी राजपूती पोशाक एवं फेन्सी कपडो के व्यापारी लिखा हुआ है। " जिसके अन्दर देखा गया तो 500-500 के नोट फोल्ड किये हुए रखे थे। जिस पर उक्त राशि को प्लास्टिक की थैली से बाहर निकवाकर गवाह श्री तनवीर अहमद से गिनवाया गया तो 500-500 के कुल 14 नोट मिले। जिसको स्वतन्त्र गवाह श्री तनवीर के पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री सलीम खां गार्ड से पूछा कि आपने परिवारी श्री भैरूलाल से उक्त रिश्वत राशि किस कार्य के लिये ली है ? तो आरोपी श्री सलीम खा ने परिवारी की ओर इशारा कर बताया कि आबकारी प्रहराधिकारी श्री ईश्वर सिंह के कहने पर रिश्वत राशि 7000 रुपये मैने श्री भैरूलाल से लिये। श्री ईश्वर सिंह के द्वारा परिवारी श्री भैरूलाल मीणा को रिश्वत राशि 7,000 रुपये नहीं देने पर दारू के झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही थी और रिश्वत राशि मुझे लाकर देने को कहा था। किन्तु मुझे परिवारी श्री भैरूलाल पर शंका होने से मैने रिश्वत राशि को एक प्लास्टिक की थैली पुरानी पडी गाडियों के पास से ही उठाकर उसमें रुपये डालकर पुरानी गाडियों के नीचे फैंक दी थी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी के बारे में पुछा तो श्री सलीम खा ने बताया कि वो अभी अभी मोटर साईकिल लेकर सलूम्वर विद्युत थाने की ओर गये है।

एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-
(श्री भैरूलाल मीणा, परिवारी)	(श्री तनवीर अहमद, गवाह)	(श्री लक्ष्मणलाल मीणा, गवाह)
एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-
(श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि.)	(श्री टीकाराम कानि.)	(श्री सुरेश जाट कानि.)
एसडी/-		
(आरोपी श्री सलीम खा)		एसडी/-
		(हरिश्चन्द्र सिंह)
		पुलिस निरीक्षक



दिनांक 09.06.2022 समय 6.30 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता व श्री सलीम खान गार्ड को साथ में लेकर थाने के अन्दर पहुँचे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हैड कानि. श्री मुनीर मोहम्मद, कानि. श्री सुरेश जाट, कानि. श्री टीकाराम को मय प्राईवेट वाहन के आरोपी श्री ईश्वर सिंह प्रहराधिकारी को डिटेन कर लाने हेतु खाना विद्युत थाना सलूमबर की ओर किया।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 7.00 पी.एम.

इस समय श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि. मय हमराही आबकारी थाने पर उपस्थित हुआ एवं श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी को हमराह लाकर पेश किया जिनसे पूछने पर आरोपी श्री ईश्वरसिंह ने घबराते हुए बताया कि हम लोग दिनांक 05.06.2022 को खाटियाखेडा की तरफ सरकारी वाहन लेकर अवैध शराब की धर पकड हेतु रेड डालने गये हुए थे। उस दिन हमने ने भगवानलाल मीणा के यहाँ पर देशी महुए की चालू भट्टी व 10 बोतल शराब को लेकर श्री भैरूलाल मीणा के घर पर भी रेड डाली थी। जहाँ पर हमे कुछ नहीं मिला। उसके घर से खाना होकर हम रास्ते मे श्री भैरूलाल मीणा मिला। तो उसको रोक बताया कि तेरी शिकायत मुझे मिली है कि तु शराब का धन्धा कर रहा है। जिस पर मैने भैरूलाल को कहा कि तेरी शिकायते बहुत है मै तेरे खिलाफ शराब का मुकदमा बना दूगा। जिस पर श्री भैरूलाल मीणा ने मौके पर ही मुझे 3000 रूपये दिये थे। जो मेरी जेब में बटवे में रखे हुए है। आरोपी श्री सलीम खां गार्ड द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त नियमानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए कानि. टीकाराम से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया, ट्रेप बॉक्स में से दो साफ काँच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त अपरिवर्तित घोल के एक काँच की गिलास के घोल में आरोपी श्री सलीम खां गार्ड के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को काँच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा सिलबंद कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री सलीम खां गार्ड के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को दूसरे काँच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग मटमेला हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस मटमेले घोल को काँच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा सिलबंद कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री तनवीर अहमद के पास प्लास्टिक थैली में रखी गई रिश्वत राशि 7000 रूपये को निकलवाई जाकर उक्त राशि का मिलान दोनो गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बर हुबहु होना बताया। इसके उपरान्त उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो पर सफेद कागज मे सिलचिट कर चिट पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपीगणों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये

गये। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के उपरान्त रिश्वत राशि को प्लास्टिक की थैली में डालकर जप्तशुदा पडी गाडियों के नीचे फेक दिया था जिसका वजह सबूत कपडे की थैली में रखकर सील चिट कर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपीगणों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो ली गई तथा थाना से अधिकारी एवं कर्मचारियो की उपस्थिति पंजिका व मूमेन्ट रजिस्टर शामिल पत्रावली किया गया।

एसडी /—	एसडी /—	एसडी /—
(श्री भैरूलाल मीणा, परिवादी)	(श्री तनवीर अहमद, गवाह)	(श्री लक्ष्मणलाल मीणा, गवाह)
एसडी /—	एसडी /—	एसडी /—
(श्री मुनीर मोहम्म हैड कानि.)	(श्री टीकाराम कानि.)	(श्री सुरेश जाट कानि.)
एसडी /—	एसडी /—	एसडी /—
(श्री मांगीलाल कानि.)	(आरोपी श्री सलीम खां)	(श्री ईश्वर सिंह आरोपी)
		एसडी /—
		(हरिश्चन्द्र सिंह)
		पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 7.40 पी.एम.

नोट दर्ज रहे कि परिवादी श्री भैरूलाल मीणा द्वारा पेश की गई डिजिटल टेप रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो वक्त लेने-देन की वार्ता परिवादी द्वारा हडबडाहट में रिकॉर्डर को चालू करना भूल गया था। जिसके कारण वक्त लेने-देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड नहीं हो सकी। नोट आईओ दर्ज किया गया।

एसडी /—  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 7.45 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहन के समक्ष परिवादी श्री भैरूलाल मीणा व आरोपी सलीम खां गार्ड की निशादेही से मौका घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द घटना स्थल नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया।

एसडी /—  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 8.00 पी.एम.

इस समय आरोपी श्री ईश्वर सिंह के कार्यालय कक्ष की तलाशी ली गई तो कार्यालय कक्ष में एक टेबल, चार कुर्सी व लोहे की अलमारी, फाईल रखने के लिए रेक तथा टेबल पर पत्रावलियाँ पडी हुई थी। तत्पश्चात् आरोपी श्री ईश्वर सिंह ने बताया कि मैं थाने परिसर में ही एक कमरे में रहता हूँ। जिसकी तलाशी ली गई तो वहाँ पर एक चारपाई, एक लोहे की अलमारी जिसमें पहने के कपडे, एक टेबल, दो कर्सी तथा पहने की वर्दी टगी हुई थी। आरोपी से पूछने पर बताया कि मैं यही पर रहता हूँ यहाँ पृथक से मेरा कोई मकान नहीं है।

एसडी /—  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 8.30 पी.एम.

इस समय आरोपी श्री सलीम खां गार्ड से खाना तलाशी बाबत पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि मैं आसपुर गांव का रहने वाला हूँ। जो सामलाती कच्चा केलूपोस मकान है उसमें रहता हूँ।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 8.45 पी.एम.

इस समय सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए आबकारी थाना से मय जाप्ता, परिवादी, स्वतन्त्र गवाहन, आरोपीगण मय मालखाना आर्टीकल मय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकार्डर के जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक के सलूमबर कस्बे में स्थित डाक बगले में अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना हुए।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 9.00 पी.एम.

इस समय डाक बगला सलूमबर पहुंच मुर्कम हुआ तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपीगणों से पूछताछ प्रारम्भ की गई।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 9.15 पी.एम.

अब तक की कार्यवाही से आरोपी ईश्वर सिंह हाल प्रहराधिकारी, कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर के विरुद्ध जुर्म धारा 7 संशोधित पीसी एक्ट (2018) का अपराध प्रमाणित होने से आरोपी ईश्वर सिंह पिता श्री रामसिंह उम्र-49 वर्ष निवासी निचला गुडा, पोस्ट बडावली पुलिस थाना सेमारी जिला उदयपुर हाल प्रहराधिकारी, कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 9.30 पी.एम.

अब तक की कार्यवाही से आरोपी सलीम खां हाल आबकारी गार्ड, कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर के विरुद्ध जुर्म धारा 7 संशोधित पीसी एक्ट (2018) का अपराध प्रमाणित होने से आरोपी सलीम खां पिता श्री असलम खां उम्र-57 वर्ष निवासी आसपुर पुलिस थाने के पीछे जिला डूंगरपुर हाल आबकारी गार्ड, कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 9.45 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी ईश्वर सिंह हाल प्रहराधिकारी, कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु पत्र क्रमांक एसपीएल-1 दिनांक 09.06.2022 दिया गया तो आरोपी द्वारा उक्त मूल पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत अपना प्रतियुत्तर लिखित में पेश किया गया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 10.00 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी सलीम खां हाल आबकारी गार्ड, कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु पत्र क्रमांक एसपीएल-2 दिनांक 09.06.2022 दिया गया तो आरोपी द्वारा उक्त मूल पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत अपना प्रतियुत्तर लिखित में पेश किया गया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 10.50 पी.एम.

इस समय ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड सैनडीक्स कम्पनी 16 जीबी बरंग काला को भी वजह सबूत जप्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा एक सफेद कपडे की थेली में रख कर कपडे की थेली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा सिलचीट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 09.06.2022 समय 11.30 पी.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र सिंह मय हमराहीयान जाप्ता, दोनो गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड बाद रात्रि भोजन के डाक बगले से जप्तशुदा मालखाना आर्टीकल मय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकार्डर के जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक के ब्यूरो कार्यालय उदयपुर के लिये रवाना हुए एवं परिवादी श्री भैरूलाल मीणा को मुनासिब हिदायत देते हुए मौके से रुखसत किया गया।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 10.06.2022 समय 1.30 ए.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक श्री हरिश्चन्द्र सिंह मय हमराहीयान जाप्ता एवं दोनो गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर एवं जप्तशुदा मालखाना आर्टीकल मय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकार्डर के प्राईवेट वाहन मय चालक के ब्यूरो कार्यालय उदयपुर



पहुँचें तथा जप्तशुदा मालखाना आर्टिकल्स को सुरक्षित मालखाने में रख जमा मालखाना कराया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं श्री विकास कानि को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय से रुखसत किया गया।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 10.06.2022 समय 8.30 ए.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि एवं श्री टीकाराम कानि मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर को 15 योम जे.सी. रिमाण्ड स्वीकृत कराने माननीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर रवाना हुआ।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

दिनांक 10.06.2022 समय 9.30 ए.एम.

इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि एवं श्री टीकाराम कानि मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-2, उदयपुर के समक्ष पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा दोनो आरोपीगण की जमानत स्वीकर की जाकर हर दोनो आरोपीगण को रिहा करने के आदेश प्रदान किये गये। जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में दोनो आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड को रिहा किया गया।

एसडी /-  
(हरिश्चन्द्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर के द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री भैरूलाल मीणा निवासी खटियाखेडा पोस्ट उथरडा तहसील सलूमबर जिला उदयपुर के विरुद्ध कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर में दारू का केस नहीं दर्ज करने की एवज में दिनांक 5-6-22 को 10,000 रुपये रिश्वती राशि की मांग करना तथा 3000 रुपये श्री ईश्वर सिंह प्रहराधिकारी के द्वारा ग्रहण किये जिसके उपरांत परिवादी ने ब्यूरो इकाई उदयपुर में आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही कराने के संबंध में दिनांक 8-6-22 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 8-6-22 को ब्यूरो इकाई उदयपुर के द्वारा रिश्वती राशि के मांग का सत्यापन कराया गया। मांग सत्यापन के दौरान आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर के द्वारा परिवादी श्री भैरूलाल से पूर्व में दिनांक 5-6-22 को ग्रहण किये गये 3000 रुपये की भी स्वीकारोक्ति की गयी और शेष रिश्वती राशि 7000 रुपये की और मांग की गयी। जिसके पश्चात दिनांक 9-6-22 को रिश्वती राशि लेनदेन के दौरान श्री सलीम खां गार्ड ने परिवादी से 7000 रुपये रिश्वती राशि मांगकर अपने दोनो



सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही कराने के संबंध में दिनांक 8-6-22 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 8-6-22 को ब्यूरो इकाई उदयपुर के द्वारा रिश्वती राशि के मांग का सत्यापन कराया गया। मांग सत्यापन के दौरान आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर के द्वारा परिवादी श्री भैरूलाल से पूर्व में दिनांक 5-6-22 को ग्रहण किये गये 3000 रूपये की भी स्वीकारोक्ति की गयी और शेष रिश्वती राशि 7000 रूपये की और मांग की गयी। जिसके पश्चात दिनांक 9-6-22 को रिश्वती राशि लेनदेन के दौरान श्री सलीम खां गार्ड ने परिवादी से 7000 रूपये रिश्वती राशि मांगकर अपने दोनो हाथों से ग्रहण करने के उपरांत श्री सलीम खां गार्ड को शंका होने पर रिश्वती राशि 7000 रूपये को प्लास्टिक की थैली में रखकर कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर के परिसर में पडी पुरानी गाडियां के नीचे फेंक दिये जो मौके पर ही बरामद किये गये। तत्पश्चात आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर को ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूर्व में ग्रहण की गयी रिश्वती राशि 3000 रूपये भी आरोपी श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी के कब्जे से बरामद किये गये।


इस प्रकार आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर के द्वारा परिवादी श्री भैरूलाल मीणा निवासी खटियाखेडा पोस्ट उथरडा तहसील सलूमबर जिला उदयपुर के विरुद्ध कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर में दारू का केस नहीं दर्ज करने की एवज में दिनांक 5-6-22 को 3000 रूपये रिश्वती राशि एवं शेष रिश्वत राशि 7000 रूपये दिनांक 9-6-22 को मांगकर ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है जो कि धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 व 120बी भादस के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपीगण श्री ईश्वरसिंह प्रहराधिकारी व श्री सलीम खां गार्ड कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त सलूमबर जिला उदयपुर के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को पृथक से प्रेषित की जायेगी।

  
(हरिश्चंद्र सिंह)  
पुलिस निरीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
उदयपुर

## कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिशचन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1. श्री ईश्वर सिंह, हाल प्रहराधिकारी, कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत्त सलूमबर, जिला उदयपुर एवं 2. श्री सलीम खां, हाल गार्ड, कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत्त सलूमबर, जिला उदयपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 230/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
11.6.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 2025-29 दिनांक 11.06.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आबकारी आयुक्त महोदय, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

  
11.6.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।